सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19 / 2018

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – नून्द्रीमेन्द्रातान

श्री मंगला व अन्य बनाम श्री भीमा व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

आदेश दिनांक 31.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प कोर्ट नून्द्रीमेन्द्रातान में प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किये है, उक्त प्रकरण दिनांक 12.12.2017 को इस न्यायालय द्वारा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज फरमा दिया गया है। चूंकि प्रकरण राजस्व प्रकृति का है, इस कारण वादीगण को उनके अधिवक्ता द्वारा यही हिदायत दे रखी थी कि हर तारीख पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यकता नही है जब भी आवश्यकता होगी तब उन्हें बुलवा दिया जायेगा। जबकि अन्य वादीगण की ओर से वादी भैरूसिंह द्वारा ही पैरवी की जा रही थी दिनांक 11.01.2018 को वादी भैरूसिंह का स्वर्गवास हो चुका है, इस कारण वादी स्व0 श्री भैरूसिंह के दाह संस्कार एंव अन्य सामाजिक कार्यो में व्यस्त रहे थे। वादीगण ने कुछ दिन पूर्व जब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब उन्हें जानकारी हुई कि उक्त वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज फरमा दिया गया है। वादीगण ने प्रकरण में अपना अधिवक्ता नियुक्त किया तथा दिनांक 28.02.2018 को प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर नये अधिवक्ता को पत्रावली का अवलोकन कराने के पश्चात अब मौजूदा प्रार्थना पत्र बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त वाद रेस्टोर किये जाने से प्रतिवादीगण के अधिकारो पर अथवा प्रकरण की प्रकृति पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा बल्कि प्रत्येक पक्षकार के साथ न्याय हो सकेगा। न्याय की मंशा भी प्रत्येक प्रकरण मे प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई का पूर्ण एंव पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये दोनो पक्षकारो को सुनकर ही गुणावगुण पर निस्तारण करने की है, इस कारण भी उक्त वाद को रेस्टोर करते हुये दानो पक्षकारान को सुनकर ही गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है, तथा उक्त दिनांक 28.02.2018 को नकल लेने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई है। तथा जो विलम्ब हुआ है वह उपरोक्त कारणो की वजह से हुआ है, अतः उक्त विलम्ब को क्षमा किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्टोर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षमा किया जावे तथा वाद को पुनः उसी नंबर पर रेस्टोर किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली केंप कोर्ट नून्द्री मेन्द्रातान में प्रस्तुत हुई अप्रार्थी नैनूसिंह व मोहनसिंह स्वयं उपस्थित। अप्रार्थीगण ने मौखिक कथन किए कि प्रस्तुत प्रार्थना अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण पहले भी अनुपस्थित रहते थे एवं आज भी अनुपस्थित है एवं प्रार्थना पत्र भी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है जो विधिक प्रक्रिया के तहत नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज़ किया जावे।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रकरण इस न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.12.2017 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जा चुका है, प्रार्थीगण के यह कथन कि उनके अभिभाषक द्वारा प्रकरण

..................लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उप. खण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभि...
"न्याय आपके द्वार-2018"

में उपस्थित होने की जानकारी नही दी गई एंव प्रकरण में अन्य अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.02.2018 को प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त किये जाने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि उक्त प्रकरण अदम हाजरी में खारीज किया जा चुका है, उक्त प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो तथ्यो अंकित किये है, उसके विषयक कब नकल प्राप्त की, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत किया जाना नही पाया गया। एंव प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अंतिम पृष्ठ पर केवलमात्र वादी इन्द्रसिंह के हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तुत किया जाना पाया गया एंव अन्य प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई हस्ताक्षर होना नही पाया गया। जबकि उक्त प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2017 को खारीज किया जा चुका है। उसके लिये प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने बाबत् मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व पत्रावली के अवलोकन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 31.05.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट नून्द्री मेन्द्रातान में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर